अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2018 महेन्द्र कुमार मेहता पुत्र श्री भगवान दास निवासी 139 मुकर्जी नगर, श्रीगंगानगर बनाम लो.सू.अ. एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.05.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का कथन है कि उसने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2018 को प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने दो बिन्दुओं पर सूचना चाही थी, जो उसे चाहे अनुसार उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का सूचना के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 13.04.2018 निरस्त किया जावे और नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे तथा बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित अभिलेख को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.09.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना से सम्बन्धित अभिलेख अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक जो कि उसे आगामी वित्त वर्ष 31.03.2018 तक सुरक्षित रखना आवश्यक था। जो सम्बन्धित डीलर द्वारा उक्त अवधि से पूर्व नष्ट करने के कारण सम्बन्धित डीलर के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PT.

1. **माह अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक वार्ड संख्या 20 हरीश/पुरूषोत्तम व योगेश इण्डरप्राइजेज (ऑयल स्टोर) के केरोसीन खाद्य सुरक्षा गेहूँ, चीनी के वितरण व स्टॉक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।**
2. **माह अक्टूबर 2016 से माह मार्च 2017 तक हरीश पुरूषोत्तम योगेश इण्टरप्राईजेज वार्ड नं 20 के पोस मशीन से आधार बायोमैट्रिक सत्यापन एवं बाय राशन द्वारा बांटे गये राशन वितरण की राशनकार्ड संख्या के अनुसार प्रमाणित सूचना।**

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 13.04.2018 के पत्र से अपीलार्थी को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार उत्तर दिया :

आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि :

बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में हरीश/पुरूषोत्तम व योगेश इण्टरप्राईजेज द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.05.2001 के अनुसार वर्ष 2016 का रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया है। अतः राशन डीलर के पास वर्ष 2016 का रिकॉर्ड नहीं होने के कारण, को सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में वांछित सूचना खाद्य विभाग की बेबसाइट Food.raj.nic.in पर स्वयं द्वारा सर्च कर देखी जा सकती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और डीलर द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 01 सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है और रिकॉर्ड के अभाव में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है इसलिए इस बिन्दु पर किसी हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित रिकॉर्ड निर्धारित अवधि 31.03.2018 से पूर्व नष्ट कर दिया है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जावे, के सम्बन्ध में **प्रमुख शासन, सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 02.09.2008 से निम्न दिशा–निर्देश के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष का अभिलेख उचित मूल्य दुकानदार/नियंत्रित केरोसीन खुदरा विक्रेता को सुरक्षित रखना आवश्यक है इससे पूर्व ही** प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2018 में अंकितानुसार अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक के जिस रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति चाही है, वह अभिलेख वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 31.03.2017 का रिकॉर्ड दिनांक 31.03.2018 तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए था जबकि उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व ही

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नष्ट कर दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार के उक्त परिपत्र की अवेहलना के कारण सम्बन्धित डीलर के विरूद्ध जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये जाने उचित होगे।

जहां तक बिन्दु संख्या 02 की सूचना का सम्बन्ध है, के संदर्भ में अपीलार्थी दिये गये उत्तर से सहमत है। इसलिए बिन्दु संख्या 02 का दिया गया उत्तर सही है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित अभिलेख उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 20 हरीश/पुरूषोत्तम व योगेश इण्टरप्राइजेज (ऑयल स्टोर) के द्वारा निर्धारित अवधि 31.03.2018 से पूर्व गत वित्तीय वर्ष 2016 (01.04.2016 से 31.03.2017 तक) का रिकॉर्ड सुरक्षित न रखने के सम्बन्ध में जांच कर, उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो यह आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर